भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2794
दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

क्वाट्र्ज़ और फेल्डस्पार के खनन पट्टे

2794. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राजस्थान सहित देश में क्वाट्र्ज और फेल्डस्पार खनिजों के खनन पट्टों को आवंटित करने के लिए नीलामी के लिए ब्लॉक तैयार करने के प्रयोजनार्थ अन्वेषण की मौजूदा दरों में छूट या सरलीकरण करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों, उनके प्रमुख उपबंधों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) राजस्थान में अन्वेषण की शर्त पूरी न होने के कारण वर्तमान में नीलामी/आवंटन के लिए लंबित क्वाट्र्ज और फेल्डस्पार के संभावित खनिज ब्लॉकों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और सिरेमिक, कांच और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए ब्लॉकों की खोज और निर्माण से संबंधित उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने सा.का.नि. 567(अ) दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक के खनन पट्टे की नीलामी के लिए गवेषण मानदंडों को सरल बनाया गया है। संशोधित नियमों में क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक के लिए खनन पट्टे का जी3 स्तर पर के गवेषण पर नीलामी का प्रावधान है जो पॉकेट, लेंस, वेन्स और पेग्माटाइट में

पाए जाते हैं और अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ या अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों या उच्च शुद्धता क्वार्ट्ज से संबंधित नहीं हैं।

(ग): उपरोक्त के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से दिनांक 17.08.2023 से संशोधित किया गया था। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के रॉयल्टी दरों को भी युक्तिसंगत बनाया है।

इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से संशोधन किया गया था, जो दिनांक 01.09.2025 से प्रभावी है, जिसके तहत एमएमडीआर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर खनन पट्टे में किसी भी नए खनिज को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। खनन पट्टे में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों और गहराई मे स्थित खनिजों को शामिल करने के लिए, कोई अतिरिक्त राशि लागू नहीं है।

यह महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और डाउनस्ट्रीम उद्योगों की मांगों को पूरा करने में मदद करता है।
